भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1954
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन,1946 (शक) को उत्तर के लिए

हत्या के मामले

†1954. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान देश में राज्यवार कुल कितने हत्या के मामले दर्ज किए गए;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान ऑनर किलिंग के मामले बढ़े हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की हत्याओं में कमी लाने के लिए उक्त अवधि के दौरान कोई पहल की है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराधों संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। वर्ष 2020 से 2022 के दौरान, हत्या के तहत दर्ज मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है। वर्ष 2020 से 2022 के दौरान, हत्या का मकसद ऑनर किलिंग के तहत दर्ज मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-।। में दिया गया है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपराध की जाँच और अभियोजन सहित नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। हालांकि, भारत सरकार ऑनर किलिंग के अपराध सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है, जो इस प्रकार हैं :-

(i). वर्ष 2010 की रिट याचिका (सी) संख्या 231 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.03.2018 के निर्णय के अनुसरण में, गृह मंत्रालय ने "ऑनर किलिंग के अपराधों" से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए निवारात्मक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय करने हेतु सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को दिनांक 31 मई, 2018 को एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। निवारात्मक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ विगत पांच वर्षों के दौरान झूठी शान के लिए की गई हत्या आदि की घटना होने वाले जिलों, उप-जिलों एवं गाँवों की पहचान करना, इस संबंध में चौकन्ना रहने के लिए पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना, वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे जमावड़े के संबंध में समय से एवं पूर्व सूचना देना शामिल है। उपचारात्मक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ तत्काल एफआईआर दर्ज करना, अपराध की प्रभावी जांच करना और युगल/परिवार की सुरक्षा का प्रावधान करना शामिल है। दंडात्मक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय/ अनुशासनात्मक कारवाई शुरू करना, इन मामलों के लिए निर्दिष्ट न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष मामलों का विचारण शामिल है। यह परामर्श इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

(ii). आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर (112) आधारित प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें संकटग्रस्त कॉलर के स्थान की पहचान करने और संकट के स्थान पर जमीनी संसाधनों को भेजने की सुविधा के लिए स्थान-आधारित सेवा/ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस शामिल है।

(iii). गृह मंत्रालय ने पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्कों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजना कार्यान्वित की हैं ताकि पुलिस थानों को महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल बनाया जा सके एवं संकटग्रस्त महिलाओं के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(iv). महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर एक ही छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना है और महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा से लड़ने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना है।

(v). महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण [Universalisation of Women Helpline (WHL)] योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल सेवा के माध्यम से तत्काल और चौबीसों घंटे की आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से चौबीसों घंटे की टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान की जाती है। महिला हेल्पलाइन को 34 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 (ERSS-112) हेल्पलाइन और 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के साथ एकीकृत किया गया है। वर्तमान में, महिला हेल्पलाइन नंबर-181 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत है।

******

लोक सभा अता. प्र.सं. 1954, दिनांक 11.03.2025

अनुलग्नक-I

2020 से 2022 के दौरान हत्या के तहत दर्ज मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	853	956	925
2	अरुणाचल प्रदेश	45	49	56
3	असम	1131	1192	1072
4	बिहार	3150	2799	2930
5	छत्तीसगढ़	972	1007	1013
6	गोवा	34	26	44
7	गुजरात	982	1010	959
8	हरियाणा	1143	1112	1020
9	हिमाचल प्रदेश	91	86	85
10	झारखंड	1592	1573	1550
11	कर्नाटक	1331	1357	1404
12	केरल	306	337	334
13	मध्य प्रदेश	2101	2034	1978
14	महाराष्ट्र	2163	2330	2295
15	मणिपुर	46	46	47
16	मेघालय	79	80	72
17	मिजोरम	28	24	31
18	नागालैंड	25	27	21
19	ओडिशा	1470	1394	1379
20	पंजाब	757	723	670
21	राजस्थान	1719	1786	1834
22	सिक्किम	11	14	9
23	तमिलनाडु	1661	1686	1690
24	तेलंगाना	802	1026	937
25	त्रिपुरा	114	122	109
26	उत्तर प्रदेश	3779	3717	3491
27	उत्तराखंड	160	208	187
28	पश्चिम बंगाल	1948	1884	1696
	कुल (राज्य)	**28493**	**28605**	**27838**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	16	7
30	चंडीगढ़	22	17	18
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	13	14	16
32	दिल्ली	472	459	509
33	जम्मू और कश्मीर	149	136	99
34	लद्दाख	0	5	5
35	लक्षद्वीप	0	1	0
36	पुदुचेरी	39	19	30
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**700**	**667**	**684**
	कुल (अखिल भारत)	**29193**	**29272**	**28522**
स्रोत: क्राइम इन इंडिया				

<u>लोक सभा अता. प्र.सं. 1954, दिनांक 11.03.2025</u>
अनुलग्नक-II

वर्ष 2020 से 2022 के दौरान, हत्या के मकसद से ऑनर किलिंग के तहत दर्ज मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. स..	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	2	1	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	0
4	बिहार	2	0	1
5	छत्तीसगढ़	1	0	1
6	गोवा	0	1	0
7	गुजरात	0	0	0
8	हरियाणा	4	4	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10	झारखंड	4	8	4
11	कर्नाटक	0	1	0
12	केरल	1	0	0
13	मध्य प्रदेश	3	6	5
14	महाराष्ट्र	0	0	0
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	0	1	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	0	0	0
20	पंजाब	4	8	4
21	राजस्थान	0	0	0
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	0
24	तेलंगाना	2	0	3
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	2	0
27	उत्तराखंड	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल (राज्य)	**23**	**32**	**18**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1	0	0
32	दिल्ली	0	0	0
33	जम्मू और कश्मीर	1	1	0
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**2**	**1**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**25**	**33**	**18**
स्त्रोत: क्राइम इन इंडिया				